न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 43/2020

उनवान

नाथुलाल पाटीदार पितां हुका पाटीदार जाति पाटीदार निवासी मोटीबस्सी तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 11.01.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी नाथुलाल पिता हुका की कृषि भुमि खाता संख्या 293 नया 255 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 8030/1986 रकबा 0.10 हेक्टर व आराजी सर्वे नम्बर 8031/2140 रकबा 0.45 हेक्टर कुल नंग 02 कुल रकबा 0.55 हेक्टर भुमि वाके गांव मोटीबस्सी पटवार हल्का मोटी बस्सी तहसील अरथुना जिला बांसवाडा मे स्थित होकर प्रार्थी उक्त भुमि का एकमात्र खातेदार कृषक होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी नाथुलाल पिता हुका पाटीदार निवासी मोटीबस्सी को उक्त भुमि का प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004—2005 के तहत प्रशासन द्वारा स्थाई आवंटन किया गया है। हाल ही में प्रार्थी ने अपने उक्त आराजी सर्वे नम्बर की भुमि सुधार कार्य एवं ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ की प्रार्थी की उक्त आराजी सर्वे नम्बर की भुमि नाथुलाल पिता हुका पाटीदार निवासी मोटीबस्सी के बजाय सहवन और लिपिकिय त्रुटी की वजह से नाथु, हुका पिता रतनजी पटेल निवासी मोटीबस्सी के नाम दर्ज हो गई है तथा उक्त भुमि नाथु पिता रतनजी एवं हुका पिता रतनजी के नाम दर्ज रेकार्ड है, जो गलत है। उक्त अशुद्ध रेकार्ड के कारण प्रार्थी को हर जगह पर हैरान एवं परेशान होना पड़ रहा है। प्रार्थी के नाम से जारी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम नाथुलाल पिता हुका पाटीदार ही दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074 के अनुसार यह प्रतीत होता है कि नाथु व हुका दोनो रतनजी के पुत्र है जबकि जिस काश्तकार के नाम से उक्त भुमि आवंटित हुई है वह हुका का पुत्र है तथा हुका के पिता का नाम रतनजी है जो सहवन से नाथु, हुका पिता रतनजी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गया है तथा कुल रकबा को भी 1/2— 1/2 हिस्से मे विभाजीत कर दिया गया है जो लिपिकिय भूल की वजह से हुआ है एवं इसे दुरुस्त करते हेतु यह इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के उपरोक्त सर्वे नम्बर की राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाथु, हुका पिता रतनजी के स्थान पर नाथुलाल पिता हुका पाटीदार दुरस्त कर उक्त खाते का सम्पूर्ण रकबा दर्ज करवाने हेतु रिकार्ड दुरस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी आप न्यायालय में पेश कर रहा है। प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम नाथु, हुका पिता रतनजी के स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम नाथुलाल पिता हुका पाटीदार दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, अरथूना के नाम सम्मन जारी किये जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अरथूना की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम मोटीबस्सी की खाता संख्या 293 कुल किता 02 रकबा 0.55 हे० भूमि खातेदार नाथु पुत्र रतनजी हिस्सा 1/2 जाति पटेल, हुका पुत्र रतनजी हिस्सा 1/2 जाति पटेल के नाम दर्ज रिकार्ड होना एंव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र व रिपोर्ट पटवारी अनुसार नाथु पिता हुका पटेल पिता रतनजी तथा राजस्व रिकार्ड में नाथु, हुका पिता रतनजी होना अवगत करातें हुऐ नाथु पिता हुका दर्ज किया जाना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न भूमि आवंटन प्रार्थना–पत्र, भूमि आवंटन सलाहकार समिति की रिपोर्ट, नामान्तरकरण संख्या 507 की नकल, खाता संख्या 293 की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, प्रार्थी के पहचान–पत्र आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत भूमि आवंटन प्रार्थना–पत्र में नाथु एंव हुका के पृथक–पृथक हस्ताक्षर किये जाकर प्रार्थना–पत्र नाथु, हुका पिता रतनजी की ओर से प्रस्तुत हुआ है एंव भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भी नाथु, हुका पिता रतनजी जाति पटेल के नाम भूमि आवंटन की अनुशंसा की जाने पर नामान्तरकरण संख्या 507 द्वारा आवंटित भूमि नाथु, हुका पिता रतनजी पटेल के नाम दर्ज रिकार्ड हुई, तत्पश्चात् खाता संख्या 293 (नई) 255 (पुरानी) कुल किता 02 रकबा 0.55 हे0 भूमि नाथु पिता रतनजी हिस्सा 1/2 तथा हुका पिता रतनजी हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड हुई है। इस प्रकार वक्त भूमि आवंटन प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार नाथु, हुका दोनो भाई के रूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर तद्नुसार भूमि नाथु, हुका पिता रतनजी के नाम संयुक्त रूप से आवंटित होना स्पष्ट जाहिर होता है। भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना की रिपोर्ट अनुसार नाथु पिता हुका पिता रतनजी त्रुटिपूर्ण है।

अतः पटवार हल्का बस्सी मोटी के मौजा बस्सी मोटी की खाता संख्या 293 (नई) 255 (पुरानी) कुल किता 02 रकबा 0.55 हे0 भूमि में दर्ज नाथु पिता रतनजी के स्थान पर नाथु पिता हुका बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner